

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 25-11-2011

आज्ञा

श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्रीमती विजय लक्ष्मी विश्नोई को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्रीमती विश्नोई को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी।

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,


(डी० वी० पी० जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
10. वि० सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।

शासन उप सचिव